न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 54 / अपील / 2022 (GCMS No. 2022 / 129)	01.08.2022	03.06.2024

शोभाग बाई बेवा इन्द्रगाज उर्फ घनश्याम जाति कंजर,
निवासी आदर्श रामनगर (कंजर कोलोनी),
तहसील व जिला बून्दी

— अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जर्ये तहसीलदार बून्दी (जिला बून्दी)
2. नन्दलाल आ. रामकिशन जाति मेघवाल
   निवासी ग्राम अकलोर तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी
3. दानमल आ. आईजी जाति कंजर निवासी आदर्श रामनगर
   (कंजर कोलोनी) तहसील एवं जिला बून्दी।

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
अपीलान्ट की ओर से श्री कमलेश त्रिपाठी, श्री कपिल सैनी, एडवोकेट
रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से पेरोकार सरकार।
रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से श्री कैलाश मेघवाल, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 504 दिनांक 15.01.2007 ग्राम कांटी से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर केता के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर, बून्दी

अपील प्रस्तुत होने पर क्रमांक 54/2022 पर दर्ज रजिस्टर ... रेस्पो0 जरिये सम्मन GCMS No. 2022/129 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.08.2006 के आधार पर संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नं. 393 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, ख.नं. 394 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, ख.नं. 395 रकबा 18 बिस्वा, ख.नं. 396 रकबा 13 बिस्वा, ख.नं. 397 रकबा 12 बिस्वा, ख.नं. 398 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा, ख.नं. 399 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, ख.नं. 400 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, ख.सं. 401 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, ख.नं. 404 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, ख.सं. 405 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, ख.नं. 406 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, ख.नं. 407 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 13 कुल रकबा 26 बीघा 16 बिस्वा ग्राम कांटी में निहित अपीलांट के 1/4 हिस्से में से आधा भाग यानि 1/8 हिस्सा रेस्पो.सं.2 नन्दलाल को बेचान किया गया था तथा उसी दिन दिनांक 30.08.2006 को ही रेस्पो.सं.3 दानमल द्वारा भी उपरोक्त वर्णित आराजी में से स्वयं का 1/4 सम्पूर्ण हिस्से का बेचान रेस्पो.सं.2 नन्दलाल को बेचान किया गया था। उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 504 दिनांक 15.01.2007 को दर्ज किया गया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के द्वारा बेचान 1/8 हिस्से के स्थान पर सम्पूर्ण 1/4 हिस्से का नामान्तरकरण रेस्पो.सं.2 के पक्ष मे दर्ज कर दिया गया, जो कानूनी भूल होने से दुरूस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट को उक्त नामान्तरकरण की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी, पारिवारिक आवश्यकता हेतु रकम की आवश्यकता होने पर दिनांक 18.07.22 को शेष 1/8 हिस्से पर के.सी.सी. ऋण प्राप्त करने हेतु जब अपीलांट हल्का पटवारी के पास जमाबंदी एवं नक्शाट्रेस की नकल लेने हेतु गई, तब उसके खाते में कोई भूमि नहीं होने एवं उसके द्वारा बेचान की गई भूमि 1/8 हिस्से के स्थान पर 1/4 हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण सहवन से दर्ज कर दिये जाने की जानकारी दी गई। तब नामान्तरकरण की नकल दिनांक 26.07.2022 को प्राप्त होते ही जानकारी से अपील अवधि मध्य पेश की गई। राजस्व अधिकारियों द्वारा कानून विरूद्ध की गई गलती को सुधारने की कोई मियाद नहीं होती है। फिर भी अपील में मियाद कंडोन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र अलग से पेश किया है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में वर्णित हिस्से का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर (राज.) बून्दी सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

अभिभाषक रेस्पो.सं. 2 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट द्वारा पेश की गई अपील अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दू पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। अभिभाषक रेस्पो.सं. 2 द्वारा बहस के दौरान आगे तर्क प्रस्तुत किये गये कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर बाद जांच नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज किये जाने में उसको कोई आपत्ति नहीं है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण दिनांक 15.01.2007 की दिनांक 18.07.2022 को जानकारी होना अंकित करते हुये नकल प्राप्त कर दिनांक 26.07.2022 को हस्तगत अपील पेश की गई। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर मियाद मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि नामान्तरकरण सं.504 दिनांक 15.01.2007 ग्राम कांटी की खातेदार शोभाग बाई बेवा इन्द्रगाज हिस्सा 1/4, दानमल वल्द आईजी हिस्सा 1/4 वगै.दर्ज रेकार्ड थे, जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.8.2006 के आधार पर नन्दलाल आ. रामकिशन कौम मेघवाल सा0 अकलोर तहसील हिण्डोली के पक्ष में हिस्सा 1/2 पर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया। इसपर अपीलांट की आपत्ति रही कि उक्त आराजी में निहित 1/4 हिस्से में से उसने मात्र आधा भाग 1/8 हिस्सा नन्दलाल को विक्रय किया था, इसके बावजूद सम्पूर्ण 1/4 हिस्सा केता के पक्ष में दर्ज रेकार्ड किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त किया जावें। जबकि रेस्पो.सं. 2 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किये जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध नकल नामान्तरकरण एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.8.2006 की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। उक्त विक्रय पत्र के पृष्ठ सं. (2) के प्रथम पेरा पर स्पष्ट अंकित है कि प्रथम पक्ष अपीलांट द्वारा उक्त आराजी में निहित अपना हिस्से 1/4 में से 1/2 यानि सम्पूर्ण खाते का 1/8 हिस्सा प्रतिफलस्वरूप द्वितीय पक्ष रेस्पो.सं. 2 को बेचान किया गया। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामा0सं0 504 तस्दीक किया गया, जिसमें दानमल द्वारा बेचे गये 1/4 हिस्से के साथ ही अपीलांट द्वारा बेचे गये 1/8 हिस्से को भी 1/4 मानते हुये सम्पूर्ण आराजी में 1/2 हिस्से पर केता के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया, जो कि त्रुटिपूर्ण है। उक्त त्रुटिपूर्ण नामान्तरण विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते (राज.)

जिला कलेक्टर; बून्दी

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 504 दिनांक 15.01.2007 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) कर आदेश दिये जाते है कि रजिस्टर्ड विकयपत्र दिनांक 30.08.2006 से अपीलांट द्वारा रेस्पो.सं.2 को बेचान किये गये 1/8 हिस्से का केता के पक्ष में नये सिरे से नामान्तरकरण तस्दीक करने की नियमान्तर्गत कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 03.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी

जिला कलक्टर, बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते